

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 798/96-सोलह-1-27/77टी0सी0 दिनांक 27 फरवरी, 1996, शासनादेश संख्या-4933/99-सोलह-1-27/77टी0सी0 दिनांक 23 फरवरी, 2000, शासनादेश संख्या-2245/सोलह-1-2007-27/77 दिनांक 14 अगस्त, 2007 एवं शासनादेश संख्या-2828/सोलह-1-2010-27/77 दिनांक 12 नवम्बर, 2010 में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों में निहित व्यवस्थानुसार प्रो० सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, विद्युत अभियन्त्रण विभाग के दिनांक 30-11-2025 को सेवानिवृत्त होने के उपरान्त इनको शैक्षणिक सत्र 2025-26 के पूर्ण होने तक अर्थात् दिनांक: 01-12-2025 से 30-06-2026 तक सत्रान्त लाभ (पुनर्नियुक्ति) की सुविधा प्रदान किये जाने की स्वीकृति मा० कुलपति महोदय द्वारा प्रदान कर दी गयी है।

तदनुसार उक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

/
कुलसचिव

पृ०सं०/मा०प्रौ०वि०/4-1/3552/2025

दिनांक :-19- सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्रो० सुधीर कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, विद्युत अभियन्त्रण विभाग।
02. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/अनुभागीय अधिकारी।
03. वित्त नियन्त्रक।
04. आन्तरिक सम्परीक्षक।
05. वेतन बिल सहायक।
06. पेन्शन सहायक/विविध सहायक।
07. प्रभारी, वेबसाईट।
08. सेवानिवृत्त पत्रावली।
09. वै० स० कुलपति, मा० कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
10. कुलसचिव कार्यालय (गार्ड फाईल)।
11. निदेशक, पेन्शन निदेशालय, उ० प्र०, सेक्टर-24/3 (I.F.M.T. Campus), इन्दिरा नगर लखनऊ - 226001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रो० सुधीर कुमार श्रीवास्तव को पेन्शन आदि की सुविधा दिनांक: 01-07-2026 से प्रदान करने की कृपा करें।

Cs
कुलसचिव
16/09/25